छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/2545/1870/2021/16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/10/2021

प्रति,

सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ शासन, रायपुर

विषय :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकर राशि जमा किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :–
(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय का पत्र क्रमांक 01–06 रायपुर दिनांक 03 जनवरी 2009।
(2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय का पत्र क्रमांक 28–33 रायपुर दिनांक 02 मार्च 2009।
(3) छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/प्र0स0/2016/1315 नया रायपुर दिनांक 13.10.2016
(4) छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/बीओसी/2019/84 नया रायपुर दिनांक 06.04.2019
(5) छत्तीसगढ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक/बीओसी/2021/ 735 नया रायपुर दिनांक 19.02.2021

-----00-----

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक सन्निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में जमा किये जाने का प्रावधान है। धारा 3(1) निम्नवत् है :–

"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत के दो प्रतिशत्त से अनधिक किन्तु एक प्रतिशत से अन्यून ऐसी दर से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करें।"

अधिनियम के उक्त प्रावधान के परिपालन में केन्द्र शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2899 दिनांक 26.09.1996 में उक्त राशि सन्निर्माण लागत की एक प्रतिशत निर्धारित की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के अधीन संदेय उपकर के निर्धारण उपरांत निर्दिष्ट समयावधि में संदेय नहीं किये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 8 के अंतर्गत दो प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज संदाय किये जाने का प्रावधान है।

निरंतर...2..

पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपकर अधिनियम के तहत् उपकर जमा करने हेतु पत्र जारी किया गया है, तथापि अभी तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के तहत् निर्मित निजी/व्यावसायिक/शासकीय भवनों, सड़क नाली आदि निर्माण कार्यो से मंडल को 01 प्रतिशत उपकर की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। **(पत्रो की प्रति संलग्न)**

अधिनियम के उक्त प्रावधानों का समुचित परिपालन सुनिश्चित किये जाने तथा प्रकिया में सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से माह नवंबर 2014 से श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in में Online Payment Gateway /NEFT/E-banking के माध्यम से उपकर का संग्रहण किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया से उपकर की राशि जमा किए जाने हेतु श्रम विभागीय वेबसाईट www.cglabour.nic.in के लिंक में जाकर **"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण"** के Option को क्लिक कर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन User Id एवं Password जनरेट कर लॉगिन करना होता है। तदुपरान्त निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ यथा– नियोजक का नाम, पता, ठेकेदार का नाम, पता, निर्माण कार्य का विवरण, कार्य का नाम, वर्क आर्डर कमांक, कार्य स्थल, निर्माण लागत राशि, देय उपकर की राशि, संबंधी आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् केडिट/डेबिट कार्ड से निर्धारित उपकर का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकता है, अथवा Online चालान फार्म के ऑप्शन में जाकर ई–चालान जनरेट कर चालान का प्रिन्ट निकाल कर उपकर राशि का चैक चालान के साथ संलग्न किया जाकर RTGS/NEFT के माध्यम से भी बैंक में राशि जमा की जा सकती है। उक्त चालान 07 दिवस के लिए वैध होता है तथा बैंक से उसकी पावती भी प्राप्त की जा सकती है।

अतः आपके विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो का वर्ष 2008 से लंबित 1 प्रतिशत उपकर की राशि तथा साथ ही आपके विभाग के अन्तर्गत आने वाले निर्माण संस्थानों द्वारा उपकर की राशि नियमानुसार कटौती कर मण्डल के खाते में Online Payment Gateway के माध्यम से जमा किया जाने हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों को निर्देश है अथवा नहीं यह भी कृपया सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे।

(अमृत कुमार खलखो)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

पृ0क्रमांक/2546/1870/2021/16 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 26/10/21

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग छत्तीसगढ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष, सचिव छ0ग0 शासन की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. निज सहायक, मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निरंतर...3..

6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नोडल अधिकारी, छ0ग0 राज्य असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. एन0 आई0 सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग